

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1239/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.202-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(257)-2022

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2022


अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-851/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(18)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 3301 25 90	खट्टे ¹ फल से भिन्न अन्य निम्नलिखित वाष्पशील तेल, अर्थात्:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट), मेंथा आरवेंसिस	कोई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति"।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा, से,

31/12/22
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुखसचिव